कार्यालय नगरपालिका परिषद नजीबाबाद (बिजनौर)

पत्रांक सं0 03 /न0पा0प0/नजी0–2019 दिनांक– 28.12.2019

नगरपालिका परिषद नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनयम 1916 की धारा 298 की उपधारा (1) (2) की सूची शीर्षक ज (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए ''वाहन'' नियंत्रण एंव बिनियमन (पार्किंग शुल्क) नियमावली 2019 तैयार की है।

यह नियमावली नगर सीमा में थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर एवं इससे अधिक व्हीलर चलित वाहनों से लोडींग अनलोडींग, चढ़ाना या उतारना अथवा रूके रहना को नियंत्रित एवं बिनियमित करने से है।

इस नियमावली पर र्स्वसाधरण से आपत्ति एवं सुझाव 15 दिवस के भीतर आमनत्रित किया जा रही है। 15 दिवस के प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

''वाहन'' नियंत्रण एंव बिनियमन (पार्किंग शुल्क) नियमावली 2019

1. अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 से है।
2. यह नियामवली ''वाहन'' नियंत्रण एंव विनियमन (पार्किंग शुल्क) नियमावली 2019 कहलायेगी।
3. **अधिशासी अधिकारी** का तार्त्पय नगरपालिका परिषद नजीबाबाद जिला बिजनौर के अधिशासी अधिकरी से है।
4. **पालिका** से तार्त्पय नगरपालिका परिषद नजीबाबाद से है।
5. **अध्यक्ष** से तार्त्पय नगरपालिका परिषद नजीबाबाद अध्यक्ष से है।
6. पार्किंग शुल्क का तार्त्पय नगरपालिका सीमा में सरकारी भूमि पर, सार्वजनिक स्थानों, नगर के बाजारों, सडक के किनारे अथवा नगर पालिका द्वारा अवश्यकतानुसार नियत किये गये स्थानों पर थ्री व्हीलर,फोर व्हीलर अथवा से अधिक व्हीलर के वाहनों से लिये जाने वाले शुल्क से है।

7- नगरपालिका परिषद नजीबाबाद सीमा के अर्न्तगत कोई भी व्यक्ति जो नगरपालिका की भूमि एवं नगर के बाजारों मे तथा सड़को के किनारे नजीबाबाद नगर पालिका द्वारा आवश्यकतानुसार समय– समय पर निगत किये जाने स्थानों पर फोर अथवा थ्री व्हीलर अथवा अधिक व्हीलर के (इंजन चलित) वाहनों को खड़ा करेगा उक्त सभी स्थितियों पर यह नियमावली प्रभावकारी होगी।

8- कोई भी सड़क परिवहन निगम/प्राईवेट बस, ट्रक, मोटर कार, मिनीबस, टैक्सी ट्रेर्डस, टेम्पो, थ्री व्हीलर (इंजन चलित) इत्यादि जब तक नगर पालिका परिषद को आरोपित पार्किगं शुल्क भुगतान करके रसीद प्राप्त न कर लें पालिका की सीमा में खड़ा न हो सकेगा।

9- कोई भी सड़क परिवहन निगम/प्राईवेट बस, ट्रक, मोटर कार, मिनीबस, टैक्सी ट्रेर्डस, टेम्पो, थ्री व्हीलर (इंजन चलित) इत्यादि नगर पालिका सीमा में या पार्किंग स्थल मे आ कर रूके और खड़ा होना चाहे व खाली वाहनों या सवारी उतारे या चढाये अथवा नगर में किसी स्थान पर सामग्री(माल) उतारे या चढाये किसी भी छोटी बडी फैक्ट्री की सामग्री (माल) उतारे या चढाये प्रत्येक दशा में निर्धारित पार्किगं शुल्क प्रतिदिन निर्धारित दर पर भुगतान करना होगा यदि व वाहन बाहार से किसी भी स्थान से पालिका सीमा में आये।

10- उल्लिखत स्थानों पर जो भी कोई भी सड़क परिवहन निगम/प्राईवेट बस, ट्रक, मोटर कार, मिनीबस, टैक्सी ट्रेर्डस, टेम्पो, थ्री व्हीलर (इंजन चलित वाहन) इत्यादि रात में रूकेगे और प्रातः की सवारी या माल लेकर अन्य स्थानों को जायेगे तो ऐसी समस्त वाहनो के मालिको या ड्राईवरो या कन्डेकटरों को नियत पार्किगं शुल्क प्रतिदिन की दर से भुगतान करना होगा।

EO

11- प्रत्येक मालिक, ड्राईवरो अथवा कन्डकटर का कर्तव्य होगा कि वह नगर पालिका परिषद नजीबाबाद की सीमा में उल्लिखत स्थानों पर पहूँचतें ही अपने फोर अथवा थ्री व्हीलर (इंजन चलित) वाहन इत्यादि के रवाना/प्रस्थान होने के पूर्व निर्धारित शुल्क नगरपालिका परिषद नजीबाबाद की और से नियुक्त किए गये कर्मचारी/ऐजन्ट को भुगतान कर रसीद प्राप्त कर लेगा।

12- यदि कोई फोर या थ्री व्हीलर (इंजन चलित वाहनों) इत्यादि किसी कारण एक घंटे से अधिक समय तक नगर पालिका परिषद नजीबाबाद की सीमा में उल्लिखत स्थानों पर मशीनरी खराब हो जाने अथवा अन्य विशेष कारणों खड़ा रहता हे तो नगरपालिका परिषद नजीबाबाद के अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना तीन दिवस से अधिक नहीं ठहरेगे। नियत अवधि समाप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों के मालिक/ड्राईवरो अथवा कन्डेकटर को रू0 15.00 (पन्द्रह) प्रति वाहन प्रतिदिन की दर से पार्किंग शुल्क का भुगतान करना होगा।

13- राजकीय वाहन जो सरकारी स्टाफ/माल से लदे हो पर यह उपनियम उस समय लागू नही होगे जब विभागय सामान का प्रमाण–पत्र वाहन मालिक/ड्राईवरो अथवा कन्डकटर नगरपालिका परिषद की सीमा मे प्रवेश करने पर दिखायेगा। इस प्रमाण–पत्र में यह भी स्पष्ट होना चाहिये की माल ठेकेदार द्वारा विभागीय को आपूर्ति नही किया जा रहा है।

14- ऐसी सभी वाहनो की सरकारी कर्मचारीयों/अधिकारीयों के स्थानान्तरण के फलसरूप घरेलू सामानों से लदे हो शुल्क से मुक्त होगा।

15- नगरपालिका सीमा में काश्तकार द्वारा अपने प्रयोग मे लाये जाने वाले फसल अथवा खाद से भरे ट्रेक्टर–ट्रालो पर यह शुल्क देय न होगा।

16- शासकीय/प्रशासनिक कार्य हेतु आधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा रही जीप, कार इत्यादि पार्किगं शुल्क से मुक्त रहेगी।

17- यह कि नगर पालिका की ओर से तैनात कर्मचारीयों/ऐजन्ट के पास एक रजिस्टर रहेगा जिसमें वह एसे वाहनों की प्रविष्टि करेगा जो सीमा में प्रवेश हुआ हों।

18- सरकारी अथवा गैर सराकारी वाहन जिस पर समान जो ठेकेदार द्वारा लाया जाएगा उन पर पार्किग शुल्क देय होगा।

19- पालिका निर्धारित पार्किंग स्थलों पर निर्धारित शुल्क अदा कर ही वाहन खडा करना होगा। निर्धारित पार्किंग अतिरिक्त रोड/सडक/रोड पटरी/सरकारी भूमि पर पालिका बिना अनुमति वाहन खडा करने का पालिका उक्त वाहन को जब्त कर लेगी और रू0 1,000.00 जुर्मान अदा करने पर ही मुक्त करेगी।

20- यदि नगर पालिका उचित समझे तों पार्किग शुल्क वसूल करने को वार्षिक अथवा वर्ष के मध्य, वर्ष की शेष अवधि का ठेका, सार्वजनिक निलामी द्वारा किया जा सकेगा। सभी दशा में बोर्ड द्वारा उच्चतम स्वीकृत बोली वाले ठेकेदार को उपनियमों के प्रविधानों के अनुसार पार्किग शुल्क वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21- नगर पालिका परिषद के द्वारा ठेका देने की स्थिति में ठेके से सम्बंधित शर्ते पृथक से बनायी जाएगी, जो सार्वजनिक रूप से पढकर सुनाई जाएगी।

22- पार्किग शुल्क वसूली से सम्बंधित कोई भी विवाद होने पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद का निर्णय सर्वमान्य होगा। अधिशासी अधिकारी के निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर प्रभावित व्यक्ति प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष के समक्ष अधिशासी अधिकारी के निर्णय के विरूद्व अपील करेगा। जिसके बाद भी सन्तुष्ट न होने की दशा में मुददा न्यायलय में वाद विचार हेतू प्रस्तुत किया जा सकेगा। न्यायलय का निर्णय होने तक नगर पालिका परिषद के उक्त अधिकारीयों का निर्णय ही मान्य होगा। न्याय क्षेत्र जनपद बिजनौर होगा।

23- वहानो तथा पार्किंग शुल्क अदायगी की रसीदों की जॉच अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष या उनके द्वारा नियुक्त कोई भी कर्मचारी/अधिकारी कर सकेगा।

24- नगर पालिका परिषद नजीबाबाद जिला बिजनौर की सीमा में उल्लिखित स्थानों पर वाहनों को खडा करने पर पार्किंग शुल्क निम्न दरों से वसूल किया जाएगाः–

अनुसूची

क0सं0	विवरण	प्रस्तावित दरें (रू0 में)
1-	सरकारी, प्राईवेट बस, टक	**25.00** प्रतिदिन
2-	मैटाडोर/लारी/मिनीबस	**15.00** प्रतिदिन
3-	टैक्सी,ट्रैक्टर, टैम्पों	**10.00** प्रतिदिन
4-	इन्जन चलित व अन्य सभी फोर अथवा थ्री विलर वाहन जिसका उल्लेख नियमा वली में नही है।	**10.00** प्रतिदिन
5–	पालिका निर्धारित स्थलों पर फोर व्हीलर/कार आदि खडी रखने पर (पालिका सीमान्तर्गत निवासित परिवारो जिनके पास अपनी पार्किंग स्थल नही है,जो आवास के सामने सरकारी सड़क/आराजी आदि पर वाहन कार आदि खड़ी करते है उनके लिये।	**07.00** प्रतिदिन (कार/फोर व्हीलर , **100.00** प्रतिमाह तथा **04.00** प्रतिदिन (मोटर साइकिल/टू व्हीलर), **50.00** प्रतिमाह
6–	बिना अनुमति नगर के सडकों रोडों/रोड पटरीयों, बाजारों वाहन खडे रहने पर जुर्माना	**1,000.00**

दण्ड

उपरोक्त उपविधि/नियमावली का उल्लंघन करने वाले के विरूद एवं अनुसूची मे दिये गये दरों का भुगतान न करने के विरूद नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 की धारा 299 (1) के अर्न्तगत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। अधिकतम जुर्माना रू0 **1,000.00** (एक हज़ार रू0) तक होगा।

(सुरेन्द्र प्रताप)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद नजीबाबाद

(सबिया निशात उर्फ रेशम)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद नजीबाबाद